




## न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 15/2017 बउनवानी काशीराम पुत्र किशनलाल कीर बनाम नायब तहसीलदार स0मा0  
निवासी कीरपुरा तह0 सवाईमाधोपुर  
रजप0-1. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्ट 2. श्री महावीर चौधरी पैरोकार पाररव

<p>तारीख हुकम 28.5.2018</p>	<p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार,2018 के तहत सुलह समझौते की भावना से निस्तारण किये जाने चिह्नित होने के कारण यह प्रकरण आज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। अपीलान्ट स्वयं,वकील अपीलान्ट पैरोकार राजस्व एवं राजस्व लोक अदालत अभियान,2018 के सदस्यगण उपस्थित है। सुलह समझौते के तहत दौराने सुनवायी वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 496/2014 में ग्राम कीरपुरा की आराजी ख0न0 370 रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0 चरगागाह कर् भूमि में सम्बत् 2071 में कब्जा (बाडा) अंकित करते हुये अतिक्रमणी माना है एवं दिनांक 1.10.2014 को आदेश जैर अपील पारित कर 90 दिवस कर् सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। किन्तु अपीलान्ट द्वार विवादित अतिक्रमित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में पुन अतिक्रमण नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ करने बाबत निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया है कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने व पुनः अतिक्रमण नही करने के आशय की अन्डर टेकिंग प्रस्तुत कर दी है किन्तु सिविल कारावास की सजा माफ करने से पूर्व कब्जा हट लेने बाबत किये गये कथन का भौतिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी और से अनापत्ती प्रस्तुत की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्क विधि अनुरूप है, अतः अपील अपीलान्ट की (तीन तक) इस शर्त पर आंशिक स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर मौके पर जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया हो तो आदेश जैर अपील द्वारा अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास की सजा को माफ समझी जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण वर्तमान में भी पाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत रहेगा। पत्रावली आज दिनांक 28.5.2018 के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख कर् जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता              सदस्य राजस्व लोक अदालत         </div> <div style="text-align: center;">               श्री हनुमान प्रसाद जैन              सदस्य राजस्व लोक अदालत         </div> <div style="text-align: center;">               (पैरोकार पाररव)              जिला कलेक्टर              सवाई माधोपुर         </div> </div>
-------------------------------------	--